अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 07/2024 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

कन्हैयालाल वल्द स्व. श्री महादेव मानकानी पता म.न. 105, सिन्धी कालोनी, सिन्धुनगर, नाहरी का नाका, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

1. विशाल पुत्र कन्हैयालाल
2. रोहित पुत्र कन्हैयालाल

हाल निवासी केयर ऑफ रामचन्द खोतानी, कोडर मल दूध वाला, महिला आश्रम के पास, सुभाष डांगी रोड, भोपाल गंज, भीलवाडा, पुलिस थाना भीमगंज।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 18.12.2023.माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के प्रकरण संख्या 73/2021 ब उनवानी कन्हैयालाल बनाम विशाल व अन्य

उपस्थितः–

1. अपीलार्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 2 के प्रतिनिधि उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 14.11.2024

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के प्रकरण संख्या 73/2021 ब उनवानी कन्हैयालाल बनाम विशाल व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.12.2023 से व्यथित हो कर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये प्रत्यर्थी संख्या 01 उपस्थित नही है। प्रत्यर्थी संख्या 2 के प्रतिनिधि उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष धारा 4 व 5 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2021 को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी–प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को 2500–2500 रूपये कुल पांच हजार रूपया प्रति माह अपीलार्थी को दिये जाने एवं अपीलार्थी के साथ सद्व्यवहार बनाये रखने एवं लड़ाई झगड़ा नहीं

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

करने का आदेश पारित किया गया है । उक्त आदेश की पालना नहीं किये जाने पर इजराय हेतु अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, किन्तु इजराय प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की बजाय आदेश दिनांक 18.12.2023 से पूर्व में पारित आदेश दिनांक 23.12.2021 को खारिज फरमा दिया । अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष यह तथ्य उपलब्ध था कि अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2021 को किसी भी अपीलीय अधिकारी द्वारा निरस्त एवं अपास्त नहीं किया गया और ना ही उक्त आदेश को मिन अपीलार्थी द्वारा कहीं चुनौति दी गई। ऐसी सूरत में निर्णय दिनांक 23.12.2021 अन्तिम निर्णय की श्रेणी में आता है। जिसकी पालना करवाया जाना अधीनस्थ अधिकरण का दायित्व था, इसके बावजूद अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत इजराय प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 18.12.2023 को खारिज फरमा दिया गया जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ अधिकरण का आदेश दिनांक 18.12.2023 को निरस्त किया जा कर आदेश दिनांक 23.12.2021 की पालना कराये जाने के आदेश फरमावे।

5. प्रत्यर्थी सख्या 2 के प्रतिनिधि ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया था जो दिनांक 18.12.2023 को निर्णित इजराय प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया, जिसके विरूद्व अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील पेश की गई है। यहां यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 में इजराय आदेश के विरूद्व अपील पेश करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए यह अपील खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

7. प्रत्यर्थी संख्या 2 के प्रतिनिधि का तर्क है कि माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 में इजराय आदेश के विरूद्व अपील पेश करने का कोई प्रावधान नहीं है। अपील के लिए अधिनियम की धारा 16 में प्रावधान दिगये गये है। धारा 16 इस प्रकार है–Any senior citizen or a parent, as the case may be aggrieved by an order of a Tribnal may, within sixty days from the date of the order, prefer an appeal to the appellate tribunal. अर्थात अधीनस्थ अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई भी वरिष्ठ नागरिक या माता–पिता द्वारा आदेश की तिथि से 60 दिवस में अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए प्रत्यर्थीगण का यह कथन मान्य नहीं है कि अधीनस्थ अधिकरण के इजराय प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश के विरूद्व अपील किये जाने का प्रावधान नहीं है। अधीनस्थ अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 23.12.2021 से प्रत्यर्थी 1 व 2 से 2500–2500 रूपये प्रति माह बतौर भरण पोषण राशि अपीलार्थी को दिये जाने के आदेश पारित किये गये है। जिसकी पालना हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत इजराय प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ अधिकरण द्वारा दिनांक 18.12.2023 को खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा भरण पोषण बाबत पारित आदेश दिनांक 23.12.2021 को प्रत्यर्थीगण द्वारा किसी न्यायालय में चुनौति नहीं दी गई है जो आज भी यथावत है। इसलिए उसकी पालना कराई जाना न्यायोचित

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

प्रतीत होता है। इजराय प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का कोई ठोस आधार नहीं पाया गया है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

8. अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.2023 को अपास्त किया जाता है तथा आदेश दिनांक 23.12.2021 की पुष्टि की जाती है। आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

आदेश आज दिनाक 14.11.2024 को सरे इजालास सुनाया गया ।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर